



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122025-268624
CG-DL-E-18122025-268624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 820]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 906(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में, अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, कांस्टेबल के पद से संबंधित :-
(क) स्तंभ (6) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“18 से 23 वर्ष के बीच।

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित नोडल बल द्वारा विज्ञापित की जाए।

टिप्पण 2: भूतपूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3: भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(ख) स्तंभ (7) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के मामले में समतुल्य सेना अर्हता;
- (ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे;
- (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा अर्हित करनी होगी;
- (iv) भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

(ग) स्तंभ 10 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“प्रत्येक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती में पचास प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी, दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक वार्षिक रिक्तियां आमेसन के लिए योद्धक कांस्टेबल (ट्रेडमैन) के लिए आरक्षित की जाएंगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

टिप्पण 1: प्रथम चरण में, भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए निश्चित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए नोडल बल द्वारा भर्ती की जाएगी।

टिप्पण 2: द्वितीय चरण में, प्रथम चरण के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में भूतपूर्व अग्निवीरों की अपूरित रिक्तियों के साथ शेष सैंतालीस प्रतिशत (दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों सहित) रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भूतपूर्व अग्निवीरों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की जाएगी।

टिप्पण 3: महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संगणित की जाएगी।”;

(घ) स्तंभ 11 में,-

(i) आमेलन से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“आमेलन:

बल के पात्र योद्धक कांस्टेबल (ट्रेड्मैन) में से, जिन्होंने बल में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनकी आयु पैंतीस वर्ष से कम हो।”;

(ii) स्तंभ 2 में “बावन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “छप्पन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी-17/02/2025/कार्मिक-गोपनीय/बीएसएफ]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

टिप्पण: सीमा सुरक्षा बल, साधारण ज्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 830 (अ) तारीख 30 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1208 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 174 (अ), तारीख 6 मार्च, 2023 और संख्यांक सा.का.नि. 387 (अ), तारीख 17 जून, 2025 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2025

G.S.R. 906(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 5, relating to the post of Constable,-
(a) in column (6), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Between 18 and 23 years.

Note 1: The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force.

Note 2: The upper age- limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of ex-Agniveers.

Note 3: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of ex-Agniveers.”;

(b) in column (7), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

- “(i) 10th Class pass or equivalent from a recognised Board or equivalent Army qualification in case of ex-Army personnel;
- (ii) Physical and medical standard for recruitment to the post of Constable (General Duty) shall be applicable as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time;
- (iii) Must qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment;
- (iv) ex-Agniveers shall be exempted from Physical Standard Test and Physical Efficiency Test.”;

(c) in column 10, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“By direct recruitment (including fifty per cent. vacancies shall be reserved for ex-Agniveers in every recruitment year, ten per cent. from ex-Servicemen and upto three per cent. for absorption of annual vacancy amongst Combatised Constable (Tradesmen).

For ex-servicemen
Deputation or Re-employment

Note 1: In the first phase, the recruitment shall be conducted by the Nodal Force for fifty per cent. vacancies earmarked for ex-Agniveers.

Note 2: In the second phase, recruitment shall be conducted by the Staff Selection Commission for candidates other than ex-Agniveers for the remaining forty-seven per cent.(including ten per cent. ex-Servicemen) for the vacancies alongwith the unfilled vacancies of ex-Agniveers in a specific category in the first stage.

Note 3: The vacancies for female candidates shall be calculated on year to year basis by the Director General Border Security Force on functional requirement basis.”;

(d) in column 11,- (i) for the entries relating to the absorption, the following entry shall be substituted, namely: -

“Absorption:

Amongst eligible Combatised Constable (Tradesmen) of the Force having minimum five years regular service in the Force and are below thirty five years of age.”;

(ii) in the Note 2 for the words “fifty-two years”, the words “fifty-six years” shall be substituted.

[F. No. C-17/02/2025/Pers-Conf/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.

Note : The Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 830 (E), dated the 30th October, 2015 and subsequently amendment *vide* notification number G.S.R. 1208 (E), dated the 28th September, 2017, number G.S.R. 174 (E), dated the 6th March, 2023 and number G.S.R. 387 (E), dated the 17 June, 2025.